न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 38/2019 (2019/00209)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नरपतसिंह के कायम मुकामः– 1.चन्द्रा कंवर पत्नी नरपतसिंह 2.श्यामसिंह पुत्र नरपतसिंह 3.किशनसिंह पुत्र नरपतसिंह 4.अचन कंवर पुत्री नरपतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण रोहिचा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1.कुन्दनसिंह पुत्र शैतानसिंह के वारिसानः– 1/1 छोटूसिंह पुत्र कुन्दनसिंह 1/2 फतेहसिंह पुत्र कुन्दनसिंह 1/3 मीरा कंवर पत्नी कुन्दनसिंह 1/4 पूजा कंवर पुत्री कुन्दनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रोहिचा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर। 2.भोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह 3.हुकमसिंह पुत्र शैतानसिंह 4.गजेसिंह पुत्र शैतानसिंह 5.चन्द्रकंवर पत्नी शैतानसिंह 6.भैरूसिंह पुत्र देवीसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण रोहिचा कंला तहसील लूणी जोधपुर। 7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **वादी की और से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवड़ा।**
2. **प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह।**

दिनांकः–15.05.2026

–: : निर्णय : :–

वादी एवं प्रतिवादीगण वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त कब्जाशुदा काश्तशुदा पुश्तैनी खातेदारी ग्राम लोलासनी के खसरा नम्बर 1 रकबा 140 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय एवं वाके खसरा नम्बर 2 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय ग्राम लोलासनी तहसील लूणी जोधपुर में स्थित है वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा वाद पेश करें। वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2026 को जारी की गई एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र क्रमांक/भू.अ./2026/1438 दिनांक 20.04.2026 को पेश किया गया। वादी का भूमि के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 24.03.2026 से स्पष्ट) है। जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
1	अचनकंवर पुत्री नरपतसिंह, चन्द्राकंवर पत्नि नरपतसिंह, किशनसिंह, श्यामसिंह पि. नरपतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन–RMGB शाखा सतलाना	82/1	5.5652	बारानी द्वितीय	10.67
2	भैरूसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/3 हुकमसिंह, गजेसिंह पि. शैतानसिंह, चन्द्रकंवर पत्नि शैतानसिंह, भवरी कंवर पुत्री शैतानसिंह हिस्सा 4/9 छोटूसिंह, फतेसिंह पि. कुदन्दसिंह, पुजा कंवर पुत्री कुन्दनसिंह, मीराकंवर पत्नि कुन्दनसिंह	82/1	16.6956	बारानी द्वितीय	32.07

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

	हिस्सा 1/9 भोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह हिस्सा 10931/113433 जाति राजपूत सा देह चैनाराम पटेल पुत्र धर्मारम हिस्सा 5018/340299 जाति पटेल सा. भाचरणा खातेदार				
	नोटः– खसरा नम्बर 81/1 रकबा 0.4258 किस्म गैर मुमकिन रास्ता खातेदार वर्तमान संलग्न जमाबंदी में दर्ज खातेदार अनुसार यथावत।				
3	अचनकंवर पुत्री नरपतसिंह, चन्द्राकंवर पत्नि नरपतसिंह, किशनसिंह, श्यामसिंह पि. नरपतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन– RMGB शाखा सतलाना	02	2.9299	बारानी द्वितीय	5.62
4	भैरूसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	02	2.9299	बारानी द्वितीय	5.62

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 24.03.2026 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें। रहन हिस्से अनुसार दर्ज रखा जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 24.03.2026 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(हंसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी